बिहार सरकार

समाहर्त्ता, नवादा– सह – समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा –11 (1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ....761............/ दिनांक.....20.10.16

चूंकि समाहर्त्ता, नवादा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– रामदासी, थाना– रजौली, थाना नं0– 182, अंचल–रजौली, जिला–नवादा में कुल 5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा, – फुलवरिया जलाशय योजना अन्तर्गत पुनर्वास स्थल परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता, नवादा प्रशासक को रूप में नियुक्त किया गया है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– रामदासी, थाना– रजौली, थाना नं0– 182, अंचल– रजौली, जिला–नवादा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 5.26 एकड़ यानि 2.1286 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ऐकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	98	728	न्यायालय द्वारा स्वत्व घोषित	गैरमजरूआ मालिक	5.26	बालगोविन्द प्रसाद पिता स्व0 पुनीत साव ग्राम+थाना– रजौली, नवादा वर्त्तमान पता– गोनावा जैन मंदिर रोड, थाना+जिला– नवादा।	प्लॉट नं0– 723, 727, 709	हरदिया थाना नं0– 149,	प्लाट नं0 729 एवं 733	एन0एच0 –31

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013) की धारा –11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, अनिसाबाद, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यवधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार, नवादा उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने संहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, पटना और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना, अनिसाबाद, पटना के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

चूँकि उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा एम0जे0सी0 सं0– 4731/2012 में दिनांक 19.08.2016 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु तुरंत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया है। यह अधिसूचना इस भूमि/भूखंड के स्वामित्व संबंधी सक्षम न्यायालय के पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

समाहर्त्ता,
नवादा।